

# कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०- 427 / 2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

| आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | की गई कार्रवाई की टिप्पणी        |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| <p>25.11.2020</p>            | <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि की कायम की गयी जनाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-<br/>                     मौजा <u>मेरवा</u> धाना नं० <u>52</u> खाता नं० <u>30</u> खेसरा नं० <u>64</u>,<br/> <u>211,40</u> रकबा <u>3.04</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजलूआ <u>0.11</u><br/> <u>0.03</u> खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जनाबंदी उस मौजा के <u>3-18</u><br/>                     पंजी- II के जिल्द संख्या <u>कसावि</u> के पृष्ठ संख्या <u>4</u> पर जनाबंदी रैयत <u>खीलायम</u><br/>                     पिता/पति <u>अमनाथ कसावि</u> के नाम से कायम है।<br/>                     हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जनाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।<br/>                     हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सनर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जनाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/झादा हुकुमनाना के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।<br/>                     प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जनाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।<br/>                     अतएव संबंधित जनाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जनाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।<br/>                     अभिलेख दिनांक <u>05/12/2020</u> को रखें।</p> | <p>की गई कार्रवाई की टिप्पणी</p> |
|                              | <p>अंचल अधिकारी</p>  | <p>अंचल अधिकारी</p>              |

| आदेश का कमांक / तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | की गई कार्रवाई पर टिप्पणी |
|----------------------|--|---------------------------|
| 05/12/2020           | <p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत सीताराम बड़ाईक पिता जयनाथ बड़ाईक के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप सरकारी लगान रसीद सं0 082902 वर्ष 2000-01 एवं Form-M (Rent Shedule) वर्ष 1970-71 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा मेरले, थाना नं0 57 के सर्वे खतियान में खाता सं0 30, गैरमजुरुआ मालिक परती कदीम दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I पृष्ठ सं0 2 में सीताराम बड़ाईक पिता जयनाथ बड़ाईक खाता सं0 30 रकबा 3.18 एकड़ दर्ज है। पंजी 2 में कुल पाँच लगान रसीद कटा दर्ज है। जमाबंदी रैयत सीताराम बड़ाईक पिता जयनाथ बड़ाईक के नाम से Form-M (Rent Shedule है। जिसमें खाता सं0 30 प्लॉट सं0 64, 211 एवं 40 रकबा क्रमशः 3.04, 0.11, 0.03 कुल रकबा 3.18 एकड़ दर्ज है। जमाबंदी रैयत सीताराम बड़ाईक के वंशजों लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं0 30 प्लॉट सं0 64, 211 एवं 40 रकबा क्रमशः 3.04, 0.11, 0.03 कुल रकबा 3.18 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित्र संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी<br/>करा।</p> <p>अंचल अधिकारी<br/>करा।</p> |                           |